(अध्याय 5, नियम 143)

न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

निगरानी/द्वि०अ०सं०- 94 /2009-2010 नीरज आर्य -बनाम- राजेन्द्र प्रसाद

आदेश की संख्या	आदेश का दिनांक	आदेश, अध्यासीन न्यायालय के हस्ताक्षर	निर्देश उस प्रार्थना पत्र अथवा पत्र का जिस पर मूल आदेश लिखा हो	आदेश के प्रति पालन में किये गये प्रतिवेदन की संख्या तथा दिनांक का निर्देश
1	2	3	4	5

आदेश

आज प्रस्तुत। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं अधिवक्ता प्रतिपक्षी उपस्थित हैं। अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये।

यह निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–20/2003–04 अन्तर्गत धारा–161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मौजा शेरपुर परगना पछवादनू तहसील विकासनगर में पारित निर्णयादेश दिनांक 15–04–2004 के विरूद्व योजित की गई है।

निगरानी प्रार्थना पत्र एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली तथा अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा दिनांक 02–05–2011 को प्रस्तुत आपत्ति/सूची कागजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आपत्ति एवं सूची के साथ निगरानीकर्तागण द्वारा सम्पादित विवादित भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 11–02–2011 का भी अवलोकन किया गया। इस विक्रय पत्र के प्रथम दृष्या अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानकर्तागण द्वारा सहायक कलेक्टर द्वारा भूमि विनिमय आदेश दिनांक 15–04–2004 से जो भूमि प्राप्त/विनिमय की गई थी उसे निगरानीकर्तागण द्वारा विक्रय विलेख के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को अन्तरित किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्तागण द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 15–04–2004 को स्वीकार कर लिया गया है। अतः विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही निष्फल (Infructuous) हो चुकी है। अतः निष्फल होने के कारण प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की वाद पत्रावली संचित हो।

(एस0के0 मुट्टू)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।
दि0:30–07–2013